बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 अगस्त 2006—श्रावण 17, शक 1928

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-39/2006/38.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा सेवा भर्ती नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 5 के उपनियम 3 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(क)	(1)	नेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण स्नातकोत्तर उपाधिधारकों के लिये	-	25 मेरिट अंक
	(2)	स्नातकोत्तर एवं एम. फिल के लिये	-	25 मेरिट अंक
	(3)	स्नातकोत्तर एवं एम. फिल तथा नेट/सेट के लिये	-	30 मेरिट अंक
	(4)	स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. के लिये	-	35 मेरिट अंक

(5) स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. तथा नेट/सेट के लिये अथवा स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी. एच. डी. नेट/सेट युक्त या रहित के लिये	40 मेरिट अंक

2. नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (घ) तथा (ङ) को लोप किया जाये.

3. नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (च) के शब्द "प्रत्येक 5 माह" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक पूर्ण 5 माह" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 8th August 2006

NOTIFICATION

No. F 1-39/2006/38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India. Governor of Chhattisgarh makes the following amendments in the Chhattisgarh Higher Education Services Recruitment Rule, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rule,—

1. For clause (a) of subrule (3) of rule 5 the following shall be substituted, namely :—

(1)	For post-graduation degree holders having passed NET or SET examination.	25 merit marks
(2)	For post-graduates with M. Phil	25 merit marks
(3)	For post-graduates with M. Phil and with NET or SET qualification.	30 merit marks
(4)	For post-graduates with Ph. D.	35 merit marks
(5)	For post-graduates with Ph. D. and with NET/SET qualification. **Or** For post-graduates with M. Phil and Ph. D. either with or without NET/SET qualification.	40 Merit marks

2. Clause (d) and (e) of subrule (3) of rule 5 shall be omitted.

3. For Clause (f) of subrule (3) of rule 5 the words "for five months or more in each year" the words "for every five months completed" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. एस. बेले, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.